न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील संख्याः–जीसीएमएस नम्बर 2025/10

1. श्रीमती पुष्पा देवी धर्मपत्नी स्व. श्री लादूराम,
2. राकेश पुत्र स्व. श्री लादूराम,
3. सुश्री कमलेश पुत्री स्व. श्री लादूराम जाति मीना निवासी 4000–ए गोटा फैक्ट्री के पीछे गलता रोड़, जयपुर।
4. श्रीमती ओमा धर्मपत्नी श्री धर्मराज मीना पुत्री स्व. श्री लादूराम मीना निवासी बेनाडों की ढाणी बजरी मण्डी रोड़, ग्राम पांच्यावाला जयपुर।

––अपीलान्ट्स

बनाम

1. श्री जगदीश पुत्र स्व. श्री लादूराम मीना निवासी 4000–ए, 4000–बी मीठी कोठी का रास्ता गोटा फैक्ट्री के पीछे, गलता रोड़, जयपुर।
2. राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार सांगानेर तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
3. उप पंजीयक सांगानेर तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

––रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थितिः–

1. **श्री संदीप शर्मा एडवोकेट अपीलार्थी की ओर से**
2. **श्री बृजेश पारीक, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से**

दिनांकः 16.03.2026

निर्णय

अपीलार्थी द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 11.12.2024 से असंतुष्ट होकर भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 की तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि ग्राम गोविन्दपुरा उर्फ रोपाडा पटवार हल्का लूणियावास, तहसील सांगानेर जिला जयपुर स्थित भूमि खसरा नम्बर 1542 रकबा 0.23 हैक्टयर, खसरा नम्बर 1543 रकबा 0.49 हैक्टयर, खसरा नम्बर 1544 रकबा 0.71 हैक्टयर, खसरा नम्बर 1545 रकबा 0.44 हैक्टयर, खसरा नम्बर 1546 रकबा 0.46 हैक्टयर, खसरा नम्बर 1547 रकबा 0.15 हैक्टयर, खसरा नम्बर 1548 रकबा 0.95 हैक्टयर, खसरा नम्बर 1549 रकबा 0.05 हैक्टयर, खसरा नम्बर 1550 रकबा 0.19 हैक्टयर, खसरा नम्बर 1551 रकबा 0.11 हैक्टयर, खसरा नम्बर 1552 रकबा 0.30 हैक्टयर, खसरा नम्बर 1553 रकबा 0.08 हैक्टयर, खसरा नम्बर 1554 रकबा 0.02 हैक्टयर, खसरा नम्बर 1555 रकबा 0.01 हैक्टयर, खसरा नम्बर 1556 रकबा 0.52 हैक्टयर, खसरा नम्बर 1557 रकबा 0.60 हैक्टयर, खसरा नम्बर 1558 रकबा 0.52 हैक्टयर, खसरा नम्बर 1559 रकबा 0.30 हैक्टयर, खसरा नम्बर 1677 रकबा 0.13 हैक्टयर, खसरा नम्बर 1678 रकबा 0.34 हैक्टयर, खसरा नम्बर 1679 रकबा 0.51 हैक्टयर, खसरा नम्बर 1680 रकबा 0.01 हैक्टयर, खसरा नम्बर 1681 रकबा 0.04 हैक्टयर, खसरा नम्बर 1682 रकबा 0.01 हैक्टयर, खसरा नम्बर 1683 रकबा 0.73 हैक्टयर, खसरा नम्बर 1684 रकबा 0.07 हैक्टयर, खसरा नम्बर 1693 रकबा 0.15 हैक्टयर, कुल किता 27 कुल रकबा 8.12 हैक्टयर में 1/4 हिस्से के खातेदार काश्तकार अपीलार्थीया संख्या 1 के पति एवं अपीलान्ट संख्या 2 लगायत 4 एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पिता स्व. लादूराम पुत्र स्व. श्री मांगीया मीना थे। जिनके देहान्त के बाद उनकी विरासत का नामान्तरकरण संख्या 429 दिनांक 10.09.2020 को उनके समस्त पुत्र एवं पुत्रियों तथा धर्मपत्नी अर्थात अपीलान्ट एंव रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम विधिवत स्वीकृत किया गया।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि उपरोक्त वर्णित भूमि विवादग्रस्त के अभिलिखित खातेदार काश्तकार स्व. लादूराम पुत्र स्व. श्री मांगीया मीना अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के अलावा अन्य कोई जाईन्दा पुत्र–पुत्री संतान विधिक उत्तराधिकारी नही थे। इसलिये मीना जाति में

P.T.O.

सामाजिक रिति–रिवाज, प्रथा रूडी के अनुसार मृतक खातेदार लादूराम के देहान्त के बाद उसकी विरासत का नामान्तरकरण विधिवत अपीलान्ट एंव रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम बराबर–बराबर स्वीकार किया गया, जो पूर्णतया विधिसम्मत है जिसे अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट ने स्वीकार कर निरन्तर एवं निर्बाध रूप से काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। उन्होने आगे कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने कतई बदनियतिपूर्वक मियाद बाहर अपील अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर कथन किया कि अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट्स अनुसूचित जनजाति के सदस्य है जिन पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम लागू नही होता है एंव मीना जाति में प्रचलित रिति–रिवाज एवं रूढी प्रथाओं के अनुसार पुत्रीयों को पिता की सम्पत्ति में मालिकाना हक विरासत में प्राप्त नही हो सकता है। इसलिये उक्त नामान्तरकरण संख्या 429 दिनांक 10.09.2020 निरस्त फरमाया जावें। जिसे दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट के नोटिस जारी किये गये जिस पर रेस्पोडेन्ट जरिये अधिवक्ता श्री सुनिल कुमार शर्मा उपस्थित हुए तथा अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। दौरान अपील रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 4 के अधिवक्ता श्री सुनिल कुमार शर्मा का दिनांक 21.09.2024 को स्वर्गवास हो गया किन्तु फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 27.11.2024 को उभयपक्षों के अधिवक्ता की बहस सुनी जाने का असत्य तथ्य अंकित करते हुए कतई अवैध रूप से केवल मात्र अपीलान्ट की एकपक्षीय बहस सुनकर रेस्पोडेन्ट को पक्ष समर्थन एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही दिनांक 11.12.2024 को कतई अवैध रूप से नामान्तरकरण संख्या 429 को निरस्त कर तहसीलदार सांगानेर को रिमाण्ड कर दिया।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने कतई मनमाने रूप से अपने क्षेत्राधिकार का दुरूपयोग करते हुऐ अपीलाधीन निर्णय पारित करने में गंभीर कानूनी भूल एवं त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय न्याय प्रशासन एवं न्यायिक प्रक्रिया के सर्वमान्य सिद्धान्तों के विपरीत केवल मात्र कयासों एवं परिकल्पनाओं पर आधारित होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। उन्होने आगे यह भी कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा जानबूझकर अपूर्ण एवं असत्य कथन करते हुए षडयंत्रपूर्वक अपील प्रस्तुत की गई जिसमें अपीलान्ट जरिये अधिवक्ता श्री सुनिल कुमार शर्मा उपस्थित हुए जिन्होने अपीलान्ट को आश्वस्त किया कि उन्हे प्रत्येक पेशी पर न्यायालय में आने की आवश्यकता नही है। उन्हे आवश्यकता होगी तब फोन करके बुला लेंगे। जिस पर अपीलान्ट आश्वस्त हो गये। दौराने अपीन अधिवक्ता श्री सुनिल कुमार शर्मा का दिनाक 21.09.2024 को स्वर्गवास हो गया। जिसकी अपीलान्ट को पूर्व में कोई जानकारी नही थी किन्तु फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त समस्त तथ्यों को नजरअन्दाज करते हुए अपीलान्ट के अधिवक्ता की उपस्थिति दर्ज करते हुए विधि के समस्त वैंधानिक प्रावधानों की घौर अवहेलना करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किये जाने में गंभीर अवैंधानिकता एवं अनियमितता की है। जिसकी वजह से अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जाने योग्य है। अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि यह विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि मीना जाति पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधान लागू नही होते है बल्कि केवल रिति–रिवाजों एवं सम्प्रदाय के आचार–व्यवहार के प्रावधानों के अनुसार ही उत्तराधिकार के प्रश्न निर्णित किये जाते है जिनके अनुसार मृतक खातेदार के वारिसों में से केवल मात्र पत्नी पुत्र उत्तराधिकारियों एवं अविवाहित पुत्रीयों को ही विरासत में अधिकार प्राप्त होते है। विवाहित पुत्रीयों को उत्तराधिकार प्राप्त नही होते लेकिन जहॉ किसी जाति विशेष पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम लागू नही हो, वहॉ उस जाति विशेष के सामाजिक रिति–रिवाज एवं रूढ़ी प्रथा लागू होती है और इसी आधार पर मृतक के समस्त विधिक उत्तराधिकारियों के नाम नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया है, जो पूर्णतया न्यायोचित है किन्तु फिर भी यदि यह मान भी लिया जावें कि उक्त नामान्तरकरण हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार नही है, तो भी मृतक खातेदार लादूराम के स्वर्गवास के पश्चात् उनकी विरासत का नामान्तरकरण उनकी धर्मपत्नी अपीलार्थीया संख्या 1, पुत्र अपीलार्थी संख्या 2 एवं अविवाहित पुत्री अपीलार्थीया संख्या 3 की हक तक तो पूर्णतया न्यायोचित है। उसके पश्चात् यदि अपीलार्थीया संख्या 4 जो कि लादूराम की विवाहित पुत्री है, के नाम स्वीकृत किया गया 1/20

सभागीय आयुक्त
जयपुर

हिस्से अर्थात लगभग 32.2 बिस्वा का नामान्तरकरण गलत है, तो अधीनस्थ न्यायालय को केवल मात्र अपीलार्थीया संख्या 4 की हद तक स्वीकृत किया गये नामान्तरकरण निरस्त कर उसके हिस्से की 32.2 बिस्वा भूमि को नियमानुसार अपीलार्थी संख्या 1 लगायत 3 व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम बराबर–बराबर स्वीकृत किये जाने के आदेश प्रदान किया जाना चाहिये था किन्तु फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस महत्वपूर्ण तथ्य पर अपना न्यायिक विवेक लगाये बिना विधि के सुस्थापित सिद्धान्तों को कतई नजर अन्दाज करते हुये अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो विधि द्वारा अधिरोपित बाध्यकारी प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए पारित किया गया आदेश होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष कतई मियाद बाहर अपील प्रस्तुत की गई, किन्तु फिर अधीनस्थ न्यायालय ने विलम्ब से प्रस्तुत की गई अपील को अन्दर मियाद शुमार किये जाने हेतु अपना कोई न्यायिक निष्कर्ष अपीलाधीन निर्णय में अंकित नही किया है एवं ना ही उक्त आवेदन अर्न्तगत धारा 5 मियाद अधिनियम को स्वीकार अथवा अस्वीकार किये जाने के सम्बन्ध में कोई तथ्य अंकित किये है। जबकि विधि का सुस्थापित एवं बाध्यकारी प्रावधान है कि मियाद बाहर प्रस्तुत अपील को सर्वप्रथम मियाद में शुमार किये जाने हेतु आवेदन को निर्णित किया जाना आवश्यक है किन्तु फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने इस बाध्यकारी प्रावधान पर अपना न्यायिक विवेक लगाये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 11.12.2024 को निरस्त फरमाया जाकर नामान्तरकरण संख्या 429 बहाल फरमाया जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने कथन किया है कि अपीलार्थीगण संख्या 1 लगायत 4 ने न्यायालय तहसीलदार सांगानेर के समक्ष उपस्थित होकर लिखित रूप में विरासत के नामान्तरकरण खोले जाने बाबत आवेदन पेश किया। उक्त प्रार्थना पत्र को रिकार्ड में लेकर न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को सुनवाई का अवसर दिये बगैर ही हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार मृतक लादूराम के नाम दर्ज उक्त प्रश्नगत खातेदारी भूमि का नामान्तरकरण अपीलार्थीगण एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम स्वीकार किया जिसकी जानकारी होने पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा नामान्तरकरण की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने के पश्चात् अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। उन्होने आगे कथन किया है कि तहसीलदार द्वारा नामान्तरकरण करते समय उत्तराधिकार से सम्बन्धित विधि का कतई अवलोकन नही किया जबकि कानूनन हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा–2 उपधारा 2 के तहत मीना जनजाति के व्यक्तियों पर उक्त हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम लागू नही होता है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का परिवार मीना जाति से सम्बद्ध है जिस पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के प्रावधान लागू नही होते है। उत्तराधिकार के सम्बन्ध में अनुसूचित जनजाति समाज/क्षेत्र में प्रचलित रूढ़ी व प्रथाओं को ही कानूनी मान्यता प्रदान की गई है। तदानुसार स्व. श्री लादुराम के देहान्त के बाद उनके द्वारा विरासत में छोड़ी गई सम्पत्ति के कानूनी वारिस केवल मात्र रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व अपीलान्ट संख्या 1 व 2 ही है। मीना जाति एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के परिक्षेत्र में प्रचलित रूढ़ी प्रथाओं व रीति–रिवाज के अनुसार पुत्रीयों को पिता की सम्पत्ति में मालीकाना हक विरासत में प्राप्त नही होता है। इसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार ने मनमाने तरीके से कानूनी प्रावधानों का अवलोकन किये बिना ही नामान्तरकरण 429 स्वीकार किया गया है, जो सरसरी तौर पर अपास्त किये जाने योग्य है।

माननीय अदालत
जयपुर

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने कथन किया है प्रश्नगत भूमि के अलावा स्व. लादूराम के मालिकाना हक की एवं पैतृक सम्पत्तियों के सम्बन्ध में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा माननीय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्रम संख्या–1 जयपुर महानगर जयपुर के यहॉ वाद बाबत विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया हुआ। माननीय सक्षम न्यायालय द्वारा पक्षकारान के हक, हकूकों का नियमित वाद में निस्तारण होना शेष है। नामान्तरकरण की कार्यवाही एक फिस्कल प्रोसीडिंग है तथा

अधीनस्थ तहसीलदार सांगानेर वाद में स्वयं पक्षकार रहे है। कानूनन नियमित वाद के लम्बित रहते हुऐ अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सांगानेर को नामान्तरकरण संबंधी फिस्कल प्रोसीडिंग को स्थगित रखा जाना चाहिये था लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने कानूनी जनरल प्रिंसीपल का अवलोकन किया बिना तथा ज्यूडिशियल माईण्ड एप्लाई किये बिना उक्त अपीलाधीन नामान्तरकरण को स्वीकार किया गया है, जो विधि विरूद्ध होने के कारण खारिज किये जाने योग्य ही था। ऐसी स्थिति में उपरोक्त तथ्यों के आलौक में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.12.2024 में किसी प्रकार की कानूनी गलती नही होने के कारण अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावें।

हमने अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। जिससे विदित होता है कि प्रश्नगत भूमि के खातेदार लादूराम की मृत्यु होने पर उनकी विरासत का नामान्तरकरण संख्या 429 दिनांक 10.09.2020 को स्व. लादूराम के वारिसान पुत्र एवं पुत्रियों एवं पत्नी के नाम हिस्सा बराबर–बराबर स्वीकार किया गया है। तत्पश्चात् उक्त नामान्तरकरण के विरूद्ध खातेदार स्व. लादूराम के पुत्र रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के द्वारा प्रश्नगत भूमि अनुसूचित जनजाति (मीना जाति) समुदाय की होना एवं अनुसूचित जनजाति पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधान लागू नही होना अवगत कराते हुए खातेदार स्व. लादूराम की पुत्रियों के नाम भी विरासत के आधार पर तस्दीक हुए नामान्तरकरण संख्या 429 को विधि विरूद्ध बताते हुए अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम जयपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई जबकि यह प्रथागत रूप से शासित आदिवासियों पर ही लागू होता है, और प्रथा जैसा कि सर्वविदित है, लोगों और क्षेत्रों के अनुसार भिन्न–भिन्न होती है। हस्तगत प्रकरण में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के द्वारा संबंधित क्षेत्र व जनजाति समुदाय में स्थापित परंपरा के कोई भी साक्ष्य अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नही किये गये है। उसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मृतक खातेदार स्व. लादूराम के वारिसान पुत्र, पुत्रियों एवं पत्नी के नाम हिस्सा बराबर–बराबर स्वीकार किये गये नामान्तरकरण संख्या 429 को खारिज किया गया है, जो विधि सम्मत प्रतीत नही होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थीगण स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.12.2024 को निरस्त किया जाता है तथा नामान्तरकरण संख्या 429 तस्दीक दिनांक 10.09.2020 को बहाल रखा जाता है।

(पूनम)
संभागीय आयुक्त
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 16.03.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त
जयपुर।